कार्यालय अध्यक्ष, महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द/उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर

Letter No. - 04 /Sikri Mela/Tender/2023 Dated:- 24-02-2023

कुटेशन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक सीकरी खुर्द में महामाया देवी मेला–2023 होना प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों के सम्बन्ध में कराये जाने वाले व्यवस्था के लघु स्तरीय कार्यों के लिए निम्न प्रकार पृथक–पृथक कुटेशने आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म सीलबन्द लिफाफे में अपनी कुटेशने व अन्य प्रपत्र दिनांक 02–03–2023 को दोपहर 02:00 बजे तक नगर पालिका परिषद मोदीनगर कार्यालय/ उपजिलाधिकारी मोदीनगर कार्यालय में जमा करा सकते हैं, जो दिनांक 02–03–2023 को ही अपरान्ह 04:00 बजे उपजिलाधिकारी मोदीनगर कार्यालय मे उपस्थित कुटेशनदाताओ के समक्ष खोली जायेंगी।

प्रत्येक कार्य के लिए सभी करों सहित अधिकतम मूल्य अंकन रू0 1,00,000–00 के अन्तर्गत होगा।

नोटः– अश्व प्रजाति के पशुओं में "गलैन्डर्स" बीमारी की सम्भावना को देखते हुए पशु मेला नहीं लगाया जायेगा।

कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	कार्य स्थल एवं कार्य का नाम	कार्य अवधि
1.	साउण्ड व्यवस्था खोया–पाया केन्द्र पर, मन्दिर में पुलिस कैम्प, दंगल स्थल व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर।	दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक व ऑपरेटर।
2.	मन्दिर परिसर के समस्त मन्दिरों एवं दोनो द्वारों पर, कैम्पों में यथाआवश्यक बुके व फूल सज्जा।	दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक।
3.	महामाया भवन प्रांगण में मन्दिरों, शैड आदि के अन्दर लगी लाईट, पंखे, स्विच व वायरिंग की मरम्मत।	दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक व 09 दिन मैकेनिक की उपलब्धता।
4.	फ्लैक्स बोर्ड तैयार करना एवं निर्देशानुसार लगवाना।	मेला से पूर्व दिनांक 22 मार्च, 2023 को लगाने सहित तैयार व मेला अवधि में यथाआवश्यक त्वरित पूर्ति।
6.	फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी उद्घाटन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कुश्ती दंगल की कवरेज तथा समय–समय पर निर्देशानुसार।	दिनांक 22 मार्च, 2023 को तैयार व दिनांक 22 मार्च, 2023 से दिनांक 30 मार्च, 2023 तक लगभग 100 फोटोमय एल्बम तथा 02 घण्टे की वीडियो पैन्ड्राईव व सी0डी0 में नम्बरिंग सहित।
7.	02 ड्रोन कैमरों की 09 दिन तक व्यवस्था मय टैक्निशियन/ऑपरेटर एल0सी0डी0 व रिकॉर्डर सहित।	दिनांक 22 मार्च, 2023 को तैयार व दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक लगभग 02 घण्टे की रिकॉर्डिंग पैन्ड्राईव व सी0डी0 सहित।
8.	20 अस्थायी सी0सी0टी0वी0 एच0डी0 एवं 02 जूम कैमरों की स्थापना 09 दिवस हेतु मय डी0वी0आर0 व 03 एल0सी0डी0 व टैक्निशियन।	दिनांक 22 मार्च, 2023 को तैयार व दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक 09 दिवस।
9.	02 बडी एल0सी0डी0 स्क्रीन 54 इंच जिसमें महामाया देवी दरबार के सतत् दर्शन होते रहें।	दिनांक 22 मार्च, 2023 को तैयार व दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक 09 दिवस।

<u>कुटेशन हेतु नियम व शर्तेः–</u>

1. फर्म/ठेकेदार अपने लैटर पैड पर अपनी कुटेशन दरें प्रस्तुत करेंगे। भुगतान के समय स्वीकृत दरों के अनुसार की गयी गणना की धनराशि के अतिरिक्त कार्य पूर्ण करने हेतु अन्य कोई सामग्री, टूल एवं मशीनरी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
2. निविदादाताओं को अपने हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में स्वच्छतापूर्ण लिखकर भरे गये स्वः हस्ताक्षरित प्रपत्र एवं अंकन रू0 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एफीडेविट तथा अपना यथाआवश्यक आधार कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र व पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. लेखन में कटिंग, दरों में कटिंग या फ्लूड लगाये गये अथवा सशर्त निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. किसी एक या समस्त कुटेशनो को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी एवं मेला समिति के पास निहित है।
5. कुटेशन मे दी गयी दरें जी0एस0टी0 सहित मानी जायेंगी तथा स्वीकृत कुटेशन का नियमानुसार समस्त कर व देयकों की कटौती के उपरान्त भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
6. कार्य प्रभारी अधिकारी के तकनीकी निर्देशन में कार्य पूर्ण होने तथा मेला समापन के उपरान्त ही भुगतान सम्भव होगा।
7. कार्य सन्तोषप्रद/निर्धारित मानक के विपरीत होने की दशा में भुगतान से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी।
8. उपरोक्त प्रत्येक कार्य के प्रोपराईटर को आधार, पैन नम्बर एवं यथाआवश्यक लाईसेंस, स्टेशनरी चार्ज जमा कराना होगा।

उपरोक्त ठेकों के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर की बैवसाईट www.nppmodinagar.com पर उपलब्ध है एवं किसी भी कार्यदिवस में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के स्टोर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। समस्त नियम व शर्तें बोली से एक दिवस पूर्व पूर्ण करनी अनिवार्य हैं।

सचिव / अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी (प्र0), गाजियाबाद।
5. खण्ड विकास अधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समिति सदस्यगण, मोदीनगर।
7. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान, मोदीनगर एवं दैनिक करंट काईम, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सार्वजिनक सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 05 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।